उच्चतर शिक्षा निदेशालय,

हिमाचल प्रदेश, शिमला – 171001

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि.प्र.
27 NOV 2015
शिमला - 1

प्रैस विज्ञप्ति

उच्चतर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से ऐसे पात्र छात्र/छात्राओं को, जो वर्ष 2015–16 में निम्नलिखित राज्य प्रायोजित मेधावी छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन करने में असमर्थ रहे थे, क्योंकि उनके संस्थान पंजीकृत नही थे, के संस्थानो को ई–पास वैबसाईट http://www.hpepass.cgg.gov.in पर पंजीकृत करने तथा आवेदन करने का एक अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिससे वह इन छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 के लिए, 30–11–2015 से पहले, ई–पास वैबसाईट http://www.hpepass.cgg.gov.in पर छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं:–

1. डा0 अम्बेदकर मेधावी छात्रवृति योजना (अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए)
2. स्वामी विवेकानन्द छात्रवृति योजना (सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए)
3. ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना (अनुसूचित जन–जाति के छात्र/छात्राओं के लिए)
4. इन्दिरा गांधी उत्कृष्ठ छात्रवृति योजना
5. कल्पना चावला छात्रवृति योजना
6. मुख्य मन्त्री प्रोत्साहन योजना

टिप्पणीयां : –

1. इन छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत केवल ऐसे छात्र/छात्राएं ही ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं, जो इन छात्रवृति योजनाओं के लिए 2015–16 में पात्र थे।
2. इन छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत केवल ऑनलाईन आवेदन ही मान्य होंगे। ऑफलाईन आवेदन करने हेतु कोई भी निवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
3. केवल उन आवेदकों के छात्रवृति आवेदन पत्र 2015–16 के नवीनीकरण हेतु स्वीकार किए जाऐंगे, जिन्हें 2014–15में इन योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृति राशि आवंटित की गई है।
4. आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरान्त ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति प्राप्त कर, उसे सम्बन्धित संस्थान के माध्यम से, सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित,उप शिक्षा निदेशक के माध्यम से इस निदेशालय में जमा करवायें। ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति इस निदेशालय में प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदन अस्वीकार्य होगा।
5. आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय सही **AADHAAR Number (UID / EID)** और बैंक सम्बन्धित सूचना (बैंक और शाखा का नाम, खाता संख्या और **IFS** कोड) मुहैया करवायें।

विभिन्न राज्य एवम् केन्द्रीय प्रायोजित छात्रवृति योजनाओं से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए छात्रवृति से सम्बन्धित, ई–पास वेबसाईट http://hpepass.cgg.gov.in या इस निदेशालय की वेबसाईट www.educationhp.org पर लॉगऑन करें।

दिनकर

(दिनकर बुराथोकी)
शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन सं0 ई.डी.एन –एच (10)ए(7)2/2009–प्रैस विज्ञप्ति

दिनांक: 24 नवम्बर 2015

तिलिपियां :–

1. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, शिमला।
2. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, शिमला।
3. सम्पादक, दैनिक भास्कर समाचार पत्र, शिमला।
4. सम्पादक, अमर उजाला समाचार पत्र, शिमला।
5. सम्पादक, आपका फैसला समाचार पत्र, शिमला।
6. सम्पादक, पंजाब केसरी समाचार पत्र, शिमला।
7. सम्पादक, दैनिक जागरण समाचार पत्र, शिमला।
8. सम्पादक, दिव्य हिमाचल समाचार पत्र, शिमला।
9. सम्पादक, हिमाचल दस्तक समाचार पत्र, शिमला।
10. तकनीकि अधिकारी, आई.टी. सैल से अनुरोध है कि, उक्त प्रेस विज्ञप्ति को विभाग की वैबसाइट पर अकिंत करने की कृपा करें।

(दिनकर बुराथोकी)
शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश।

DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION

Himachal Pradesh, Shimla – 171001.

27 NOV 2015

Press Release

The Higher Education Department is pleased to allow a one-time relaxation to the left out eligible students, who were unable to apply for scholarship, due to not enlisted their Institutions on hp epass website, under the following State Sponsored Meritorious Scholarship Schemes for the session, i.e.2015-16,to apply for the same, online at the HP ePass website http://hpepass.cgg.gov.in, before 30-11-2015

1. Dr. Ambedkar Medhavi Chattarvriti Yojna (for SC / OBC category students)
2. Swami Vivekanand Utkrisht Chhatravriti Yojna (for General category students)
3. Thakur Sen Negi Utkrisht Chhatravriti Yojna (for ST category students)
4. Indira Gandhi Utkrisht Chhatravriti Yojna for Post Plus Two Students
5. Kalpana Chawla Chhatravriti Yojna
6. Mukhiya Mantri Protsahan Yojna

NOTES:

1. *Only those students who were eligible to apply under the above mentioned Meritorious Scholarship Schemes, for the year 2015-16 can apply online during the stipulated time frame.*

2. *Only Online applications under these Scholarship Schemes will be accepted and no request for accepting Offline applications will be entertained.*

3. *Only the students, who were awarded Scholarship under this scheme during 2014-15, can apply for renewal of Scholarship for 2015-16.*

4. *Applicants are advised to take a print-out of the duly filled-in application forms, after submitting it Online, and to send it along with all supporting documents through their respective institutes to the concerned Deputy Director or this Directorate, as the case may be. Without the receipt of hard copy in the concerned Deputy Director or this Directorate, the application shall be liable to be rejected.*

5. *Applicants are advised to enter proper AADHAAR Number and Bank Details (Bank and Branch Name, Account No. and IFS Codes), while filling the Online Application Forms.*

For detailed information and conditions related to the various State & Centrally Scholarship Schemes, being implemented by the Education Department, logon to the Scholarship Related e-Pass website http://hpepass.cgg.gov.in or the Departmental website http://www.educationhp.org.

(Dinkar Burathoki)
Director of Higher Education
Himachal Pradesh.

Endst. No. EDN-H(10)A(7)2/2009-Advertisements- Shimla, Dated: 24th November, 2015

y to:

1. The Director, All India Radio Centre, Shimla.
2. The Director, Doordarshan Centre, Shimla.
3. The Editor, The Tribune Newspaper, Shimla.
4. The Editor, The Indian Express Newspaper, Shimla.
5. The Editor, The Times of India Newspaper, Shimla.
6. The Editor, Hindustan Times Newspaper, Shimla.
7. The T.O., IT Cell, DHE HP, with the request to upload the above Press Release on to the Departmental Website.

(Dinkar Burathokl)
Director of Higher Education
Himachal Pradesh.